20/01/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं दिनांक 25.06.2024 को जारी टी.आई. निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/408

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी : संदीप काकड़, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 166/2024 दायरा दिनांक 25.06.2024

अनवान् :-

गिरधारी सिंह पुत्र दीप सिंह जाति राजपूत निवासी 99.150 आर.डी. मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

—— प्रार्थी

ब ना म्

1. फतेह सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. मान सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
3. लाल सिंह पुत्र उत्तम कंवर जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
4. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 आर.टी.ए.

उपस्थित : श्री सुभाष बिश्नोई, एडवोकेट – प्रार्थी
श्री राकेश कुमार मनचन्दा, एडवोकेट – अप्रार्थी सं. 1 व 2
तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ – पैरोकारराज।

निर्णय दिनांक : 20.01.2025

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा–88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी गिरधारी सिंह पुत्र दीप सिंह के नाम मुताबिक जमाबन्दी ग्राम मोकलसर सम्वत् 2070 ता 2073 खाता संख्या 190/190 के खसरा नम्बर 205 में 33.902 है0 बारानी, खसरा नं. 216 में 14.800 बारानी, खसरा नम्बर 833/205 में 0.266 है0 गै.मु. ख. नं. 834/205 में 4.048 है0 बारानी यानि खाता की कुल 53.016 है0 बारानी मय गैरमुमकिन भूमि में 4.164 है0 खातेदारी प्रार्थी का हिस्सा है। कुल भूमि में कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग से चिपता है वह बेशकिमती है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पूर्व में अपना हिस्सा विक्रय कर चुके है व शेष को अब हस्तान्तरित करने की फिराक में है और कब्जा राष्ट्रीय राजमार्ग पर देने की धमकी दे रहे हैं। वाद निर्णय से पूर्व उन्हें अपने नाम अंकित भूमि को हस्तान्तरित बजरिये रहन, बैय करने से रोकने की प्रार्थना की है। प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी को इकतरफा स्थगन [illegible]2024 को वादाधीन भूमि ग्राम मोकलसर जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 खाता संख्या 190/190 के ख. नं. 205 में 33.902 है0 बारानी ख. नं. 216 में 14.800 है0 व ख. नं. 833/205 में 0.266 गै.मु. ख. नं. 834/205 की 4.0483 बारानी इस प्रकार खाता की कुल 53.016 है0 बारानी मय गैरमुमकिन को बजरिये रहन, बैय हस्तान्तरण न करने और मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन के माध्यम से पाबन्द कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 2 पर

अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 की ओर से श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक उपस्थित हुए व जवाब प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई कर स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी नं. 3 के फौत होने व प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी नं. 3 की सीमा तक मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने और वाद भी मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से वाद व प्रार्थना–पत्र अप्रभावशील होना बताया। साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके पिता, पुत्रों व भाईयों द्वारा पूर्व में स्वयं प्रश्नगत खाते की भूमि का विक्रय अलग–अलग विक्रय–पत्रों के द्वारा किया है। स्वयं ने भूमि रहन की हुई है। अप्रार्थी नं. 1 बीमार रहता है उसे वित्तीय प्रबन्धन हेतु भूमि रहन का अधिकार है वह सहकाश्तकार है। सहकाश्तकार व अंकित काश्तकार के विरूद्ध भूउपयोग हेतु स्थगन दिया जाना माननीय राजस्व मण्डल के न्याय निर्णयों अनुसार प्रतिषेध (Barred) है वाद व प्रार्थना–पत्र में मृत व्यक्ति प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध प्रस्तुत होने से वाद व प्रार्थना–पत्र निरस्ती योग्य है। वाद में अनुतोष मात्र खाता विभाजन का चाहा गया है। घोषणा की मात्र धारा का ही अंकन किया गया है। प्रार्थी ने संयुक्त खाता में अंकित सभी सहखातेदारान को अपने इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार ना बनाते हुये सम्पूर्ण खाता की भूमि पर एकतरफा स्थगन चाहा गया है और अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली गई है। जो कि वाद–पत्र की पेश की गई प्रति व जमाबन्दी के अवलोकन से साबित है। प्रार्थी ने स्वच्छ हाथों से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया इसलिये प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में अप्रार्थी सं. 3 के मृत्यु प्रमाण–पत्र और स्वयं प्रार्थी, उसके पिता, भाईयों व पुत्रों द्वारा करवाये गये हस्तान्तरण पत्रों व नामान्तरणों की प्रतियां पेश की गई है।

जवाब प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत होने के बाद बहस सुनी गयी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराकर निवेदन किया कि प्रार्थी अंकित खातेदार काश्तकार है। खाता विभाजन का वाद विचारण में है। प्राथमिक रुप से मामला बनता है व वाद स्वीकृति योग्य है। स्थिति बाद विक्रय हस्तान्तरण दौराने वाद होने से प्रार्थी के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा सम्भावित आदेश व डिक्री की पालना नहीं हो सकेगी इसलिये प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी नं. 1 व 2 की ओर से निवेदन किया गया कि प्रथमतः संयुक्त खाते में अंकित सभी काश्तकारों को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने मृत व्यक्ति अप्रार्थी नं. 3 लालसिंह पुत्र उत्तम कंवर के विरूद्ध वाद एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत एवं विधि विरूद्ध होने से अप्रभावकारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहकाश्तकार हैं वे अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने को स्वतन्त्र है। सहकाश्तकार के विरूद्ध स्थगन नहीं दिये जाने के न्याय निर्देश है। प्रार्थी गिरधारी स्वयं, भाईयों और पुत्रों के द्वारा पूर्व में बेचान अपने हिस्से की भूमि का किया गया है। पिता दीप सिंह द्वारा पूर्व में स्पष्ट खसराजात की भूमि भी विक्रय की गई वे अपने हिस्से की सड़क के साथ लगी भूमि विक्रय कर चुके हैं और भूमि रहन भी की हुई है। किसी दूसरे को अपने हिस्से की भूमि के भूउपयोग बजरिये रहन, बैय से रोकने का उन्हें कतई अधिकार नहीं है उनका स्थगन प्रार्थना–पत्र में विशिष्ट हिस्से हेतु ना तो प्राथमिक रुप से मामला बनता है ना ही कब्जा है। अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। अप्रार्थी फतेह सिंह बीमार रहता है इलाज हेतु भूमि के रहन–बेचान स्वयं के हिस्सा की भूमि हेतु उसे रोका जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित RBJ-1999 Page [illegible] ary injunction cannot be granted against co-tenant in the land of joint tenant RRD [illegible] Page 79 Appellant can not be injuncted through injunction to sale the land to the [illegible] of her share stopping of sale will be a revenue loss order of Sub ordinate court set aside" इसमें अंकित काश्तकार को भू–विक्रय से नहीं रोका जा सकता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया होना अभिभाषक द्वारा बताया गया व प्रार्थना–पत्र बाबत स्थगन निरस्त करने की प्रार्थना की गई। अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

लगातार 3 पर

उभय पक्ष के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में समस्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन व मनन व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के मनन करने पर पाया कि प्रथमतः यह तथ्य सही है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन का वाद जेरकार है। प्रत्येक काश्तकार को अपने नाम अंकित खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने का अधिकार है किन्तु प्रार्थी की यह जुम्मेवारी थी कि वह धारा–212 आरटीए के प्रार्थना–पत्र में सभी सहखातेदारान और हितबद्ध एवं आवश्यक व्यक्ति को पक्षकार बनावे। लेकिन प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को ही पक्षकार बनाते हुये अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना सम्पूर्ण खाता की भूमि पर स्थगन चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के उसके वारिसों को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो कि गलत व विधि विरूद्ध होने से श्रवण योगय नहीं है। द्वितीय स्वयं प्रार्थी गिरधारी द्वारा अपने हिस्से में से कुछ भूमि दिनांक 11.11.2013 को अपने भाईयों के साथ मिलकर भगवन्त सिंह पुत्र तारा सिंह को विक्रय की व अपना शेष हिस्सा भी बैंक के यहां गिरवी रखा हुआ है। जब वह स्वयं विक्रय व रहन रख सकता है तो अन्य अंकित काश्तकारों को ऐसा करने से रोकना न्यायिक क्रिया कलाप का दुरुपयोग होना माना जा सकता है। इसमें अप्रार्थी नं. 1 बीमार व्यक्ति है उसे दौराने वाद अपने हिस्से को यथावत रखने का आदेश न्याय अवधारणा व समानता के सिद्धान्त के विपरीत है। प्राथ्री द्वारा अपने द्वारा किये हस्तान्तरण व रहन को छुपाकर मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिये यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये न्याय उद्धरण RRD-1998 Page 79 & RBJ 1999 Page 301 के न्याय निर्णयों में भी यह स्पष्ट न्याय निर्देश दिये गये है जो कि इस प्रकरण में पूर्णतया प्रभावशील होते है। अंकित खातेदार का सहखातेदार के विरूद्ध किसी अन्य सहखातेदार को यथास्थिति का स्थगन दिया जाना उचित नहीं। अंकित काश्तकार अपने हिस्से की सहकाश्त भूमि पर इंच–इंच पर काबिज माना गया है उसे अपने हिस्से के हस्तान्तरण से रोका जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के कतई विपरीत है। इस प्रकरण में स्वयं प्रार्थी द्वारा भूमि हस्तान्तरण सहकाश्तकार खातेदार की हैसियत रखते हुये स्वयं और परिवार के सदस्यों की विक्रय व रहन रखी है। जब वह स्वयं इस सुविधा का उपभोग कर रहा है तो अप्रार्थीगण अन्य सहकाश्तकारों को निषेधाज्ञा के माध्यम से रोकने का अधिकार खो चुका है। यही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अवधारणा के अनुसरण योग्य तथ्य प्रकरण में बनता है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते स्थगन आदेश बाबत का तहसील सूरतगढ़ ग्राम मोकलसर जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 2073 खाता संख्या 190/190 ख. नं. 205 में 33.902 है0 बारानी 216 में 14.800 है0 बारानी, ख. नं. 833/205 में 0.266 है0 गै.मु., ख. नं. 834/205 में 4.048 है0 बारानी कुल 53.016 है0 मय गैरमुमकिन व बारानी की यथास्थिति मौका व रिकार्ड की बनाये रखने व हस्तानान्तरण, बैय ना करने का विरूद्ध अप्रार्थीगण फतेह सिंह वगैरह प्रदान करने के प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है और पूर्व में, जारी एकतरफा अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.06.2024 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 20/01/2025 को आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.1.25

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)